COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

C.C.B-15

(77)

न्यायालय:- राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

R 1348-III/99

निगरानी /99

1• कमल भान सिंह

2• विष्णु भान सिंह

3• ज्ञानेन्द्र सिंह

4• सुरेन्द्र सिंह

5• वीरेन्द्र सिंह

6• राघवेन्द्र सिंह पुत्र गण सूर्यभान सिंह

7• वेवा सूर्यभान सिंह

8• गिरण सिंह

9• सन्तोषा सिंह

10• ललिता सिंह पुत्रीगण सूर्यभान सिंह

11• बशपती सिंह } पुत्रगण

12• चन्द्रभान सिंह } श्री बल्देव सिंह

निवासीगण ग्राम -दुवी तह• हुजूर जिला- रीवा म•प्र•।

--------आवेदकगण

क्रमांक ... श्री ... अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 12.8.99 को प्रस्तुत 12.8.99 क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

12.8.99

विरूद्ध

1• गणेश सिंह } पुत्रगण जागेश्वर सिंह

2• राजेन्द्र सिंह }

3• मु0 बुधरजुआ पुत्री जागेश्वर सिंह निवासीगण- गढ़वाईवी तह• हुजूर जिला रीवा म0 प्र0 ।

-------अनावेदकगण

निगरानी विरूद्ध आदेश अपर आयुक्त सम्भाग रीवा के आदेश दिनांक 28-07-99 प्र• क्र• 332/अपील/93-94 के अन्तर्गत धारा एस•डी• 10 प्र0 भू• रा• सं• 1959 के अधीन ।

------0------

श्रीमान् जी,

आवेदकगण की ओर से निगरानी के तथ्य ... आवेदकों को 14, ... सिंह विरूद्ध रूप सिंह ... पादित किया है

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 1348–तीन/99 जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28–11–16	आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस0पी0 धाकड़ उपस्थित। अनावेदक के अभिभाषक श्री आर0डी0 शर्मा उपस्थित । 2/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्र0क्र0 332/अपील/1993–94 में पारित आदेश दिनांक 28.07.99 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा–50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है । 3/ प्रकरण का संक्षेप सार है कि आवेदक क्र0 11 व 12 द्वारा विचरण तहसील न्यायालय में इस आशय का आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि का खाता अलग कर व बटवारा कर नामांतरण किया जावे। नायब तहसीलदार ने कार्यवाही के पश्चात नामांतरण का आदेश दिया। इस आदेश से दुखी होकर अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील पेश की, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी द्वारा चुनौशुदा आदेश पारित कर अनावेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर अनावेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के न्यायालय के समक्ष पेश की गई। जहां प्रकरण क्रमांक 332/अपील/1993–94 में पारित आदेश दिनांक	

28.07.99 द्वारा अपील स्वीकार की गई। इसी आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है।

4/ उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये। तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया । प्रकरण में आवेदकगण द्वारा यह तर्क दिया गया कि अधीनस्थ अपर आयुक्त द्वारा जो आलोच्य आदेश 28.07.99 पारित किया है, अवैध एवं अनुचित है। नायब तहसीलदार, हुजूर का आदेश दिनांक 31.10.92 एवं अनुविभागीय अधिकारी, हुजूर के आदेश दिनांक 12.01.1994 विधि अनुकूल होकर उक्त अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती होने से अंतिम हो जाते है। तथा अपर आयुक्त द्वारा आलोच्य आदेश पारित किया है उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अनावेदकगण क्र0 1 व 2 के पिता क्र0 3 के पति के पारित जागेश्वर सिंह द्वारा अपंजीकृत विक्रय पत्र कर स्वत्व हक मालकान उक्त विवादित भूमि का सम्बत 2006 यानि 1960 के आधार पर आवेदकों ने आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन–पत्र से आवेदकगण नामांतरण नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 31.10.92 से स्वीकार हुआ है। अतएव निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसी के प्रतिउत्तर में अनावेदकगण के अधिवक्ता ने तर्क किया कि तथाकथित विक्रय–पत्र जहां फर्जी है वही अपंजीकृत है। ऐसे दस्तावेज के आधार पर नामांतरण नहीं किया जा सकता। बटवारा पुल्ली में सभी सहखातेदारों के हस्ताक्षर नहीं है। अनावेदकगण के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष उचित है। बटवारा पुल्ली एवं विक्रय–पत्र सही है एवं उनके आधार

पर किया गया नामांतरण उचित है। अतः निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5/ नायब तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया गया । नायब तहसीलदार ने अपने आदेश में यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर स्वत्व अर्जित हो जाते है। अनुविभागीय अधिकारी ने भी चुनौतीशुदा आदेश में ऐसा ही निष्कर्ष निकाला है कि–आवेदकगण का कब्जा अर्सा 12 वर्ष से चला आ रहा है जिसे मौखिक साक्ष्य से भी प्रमाणित किया गया है। चूँकि अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी, द्वारा अपने आदेश में पूरी तरह से विश्लेषण करके आदेश पारित किया गया है, जिसमें कोई त्रुटि होना प्रतीत नहीं होती। अतः अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

6/ आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के आदेश का अवलोकन किया। आयुक्त रीवा ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के पठन के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने विपरीत कब्जे के आधार पर स्वत्व अन्तरित होना मानकर नामांतरण आदेश पारित किये है। इस कारण प्रश्न यह उठता है कि राजस्व न्यायालय विपरीत कब्जे के आधार पर स्वत्व अर्जन का विनिश्चय कर सकते है? राजस्व मण्डल ने 1994 रे0नि0 204 में इस संबंध में यह व्यवस्था दी है कि:– "प्रतिकूल कब्जा द्वारा हक का अर्जन का प्रश्न–अधिकारिता–राजस्व न्यायालयों को ऐसे प्रश्नन का विनिश्चयन करने की अधिकारिता नहीं है। इस संबंध में 1980 रे0नि0 516(उच्च न्यायालय पूर्वपीठ), 1992 रे0नि0 266(उच्च न्यायालय) अवलोकनार्थ है।"

7/ इस प्रकार उक्त प्रावधान के आधार पर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेशों को निरस्त किया है और अनावेदकगण के द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है। मेरे मतानुसार आयुक्त रीवा ने अपने आदेश में जो निष्कर्ष निकाला है, वह उचित है। आयुक्त रीवा के द्वारा पारित किये गये आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती।

8/ अतएव उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त किया जाता है एवं आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.07.99 यथावत रखा जाता है ।

(एस0एस0अली)
सदस्य